पत्रांकः 1/2026/आर0जी0- 77/ दस-2026-106(03)/26

प्रेषक,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव,वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
संलग्न सूची विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त संसाधन(सामान्य) अनुभाग लखनऊः दिनांक 09 फरवरी, 2026

विषयः- विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेन्स बजट) एवं अन्य साहित्य विधान सभा के माननीय सदस्यों में वितरण हेतु विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या: 17/वि0स0/प0का0/11(प)/89 दिनांक 05 फरवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आय-व्ययक दिनाँक 11 फरवरी, 2026 को विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है और इस पर साधारण चर्चा दिनाँक 16 फरवरी, 2026 से 18 फरवरी, 2026 तक निर्धारित है। साधारण चर्चा के पश्चात् दिनाँक 19 एवं 20 फरवरी, 2026 से विभिन्न विभागों के अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान प्रारम्भ होगा। शासन के विभिन्न विभागों के अनुदानों की माँगों पर विधान सभा में विचार एवं मतदान के समय संबंधित विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेन्स बजट) एवं अन्य साहित्य विधान सभा के माननीय सदस्यों में वितरण हेतु विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त के क्रम मे आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के अनुदानों की माँगों पर विधान सभा में विचार एवं मतदान से पूर्व संबंधित साहित्य की 800 प्रतियाँ (सॉफ्ट कापी सहित) पटल कार्यालय, विधान सभा सचिवालय को भेजते हुये, उसकी प्रति (हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में) वित्त संसाधन(सामान्य) अनुभाग, वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त

प्रतिलिपिः- संसदीय कार्य अनुभाग-01, विधान सभा सचिवालय, के पत्र संख्याः 17/वि0स0/प0का0/11(प)/89 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बनाने वाले विभागों की सूची:-

क्रम संख्या	विभाग
1	आबकारी विभाग
2	आवास विभाग
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)
5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)
8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)
9	ऊर्जा विभाग
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)
21	खाद्य तथा रसद विभाग
22	खेल विभाग
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)
25	गृह विभाग (कारागार)
26	गृह विभाग (पुलिस)
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)
29	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)
30	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)
31	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)
32	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)
33	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)
34	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)
35	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)
36	नगर विकास विभाग
37	नागरिक उड्डयन विभाग

38	भाषा विभाग
39	नियोजन विभाग
40	निर्वाचन विभाग
41	न्याय विभाग
42	परिवहन विभाग
43	पर्यटन विभाग
44	पर्यावरण विभाग
45	प्रशासनिक सुधार विभाग
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग
47	मुस्लिम वक्फ विभाग
48	महिला एवं बाल कल्याण विभाग
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
53	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)
54	लोक निर्माण विभाग (भवन)
55	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)
56	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)
57	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)
58	वन विभाग
59	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)
60	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)
61	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)
62	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)
63	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)
64	विधान परिषद् सचिवालय
65	विधान सभा सचिवालय
66	व्यावसायिक शिक्षा विभाग
67	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
68	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)
69	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)
70	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)
71	ग्रह विभाग (होम गार्ड)
72	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)
73	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)
74	श्रम विभाग (सेवायोजन)
75	सचिवालय प्रशासन विभाग
76	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)
77	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)
78	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)
79	सतर्कता विभाग
80	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

81	सामान्य प्रशासन विभाग
82	सार्वजनिक उद्यम विभाग
83	सूचना विभाग
84	सैनिक कल्याण विभाग
85	राज्यकर विभाग
86	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग
87	संस्कृति विभाग
88	नमामि गन्गे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
89	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)
90	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)